(02) श्री सुरेश कुमार चाहर एड

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

46/2021	चाहर | शिशुपाल — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — 225 RTAct	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/1/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। आदेश जेर अपील दिनांक 15/01/2021 का अवलोकन किया गया जिसमे सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है कि "श्री राहुल कुमार यादव एड. ने प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनाक 18/02/2021 को पेश हो।" से स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया है बल्कि मात्र आदेशिका अंकित की गयी है, जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जो स्पष्ट रूप से आदेश के अभाव में इस न्यायालय के समक्ष संधारणीय ही नही है। अत: अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील संधारणीय नही होने से इसी स्तर पर ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	